


05/12/23

आज यह पत्रावली वाही प्रार्थी के आवेदन पत्र पर तलब की गई। वाही प्रार्थी एवं उनके वकील उपस्थित हैं। हमने वाही प्रार्थी के वकील को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। वाही ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पत्रकारान में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामा के आधार पर आगे नहीं चलना चाहते हैं। अतः वह पत्र एवं प्रार्थना पत्र स्वयं नोट प्रेस में खरीज करने की कृपा करें। अतः हस्त प्रार्थना पत्र वाही व वाही का वह-पत्र नोट प्रेस में खरीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम लोक अदालत दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 (संवेदनशील-संवेदन)



डा. वि. कनराधिक
 सिद्ध